24.1.2017 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद तलबी गैर हाजिर
पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप मे विवरण इस
प्रकार है कि पटवारी हल्का गवारड़ी ने मौजा कोलेरान
कला के ख0न0 218 रकबा 0.08 हैक्टयर किस्म
भूमि गैर मु. राजकीय भूमि पर बाड़ लगाकर नाजायज
कब्जा कर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में पी.वी. रिपोर्ट
गैर सायल के विरुद्ध पेश की गई। जिस पर इस न्यायालय मे
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत
मामला दर्ज कर गैर सायल के विरुद्ध LR Act 1956
की धारा 91(3) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया।
गैर सायल उपरोक्त को राजकीय भूमि गै.मु. पर
अतिक्रमण करना स्वीकार किया ऐसी स्थिति मे
गैर सायल को राजकीय भूमि गै.मु. पर अतिक्रमण
करने से अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमित

राजकीय भूमि गु. नं. पट से मौके पर बेदखल करते एवं
अनावेदक के लगान का पचास गुणा जुर्माना राशि 16/—
(सोलह रुपये) कायम किये जाते हैं। पटवारी हल्का [illegible]
को अतिक्रामक द्वारा किये गये अतिक्रमण को मौके
रूप से बेदखल करने एवं अधिरोपित जुर्माना राशि की वसूली
हेतु लिखा जावे। प्रकरण जुर्माना भोग कायमी हेतु आर.आई.
को भेजी जावे। प्रकरण [illegible] नंबर से
कम हो निर्णय आज दि. 24.01.2017 को सुनाया गया।

तहसीलदार, [illegible]
(जापीर - [illegible])

सं 2073 ... 18/...
... 155 ... दर्ज की।